सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 4797 / 1021 / 2015 दिनांकः– 02.05.2016

के मामले में:

श्री मूलचन्द,
कमरा नम्बर – एम.ए. 5, D40
कंकरी कॉलोनी,
पोस्ट ऑफिस – ककरी परियोजना,
जिला – सोनभद्र
उत्तर प्रदेश – 231224 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक,
नार्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, D41
पोस्ट एवं जिला – सिंगरौली,
मध्य प्रदेश – 486889 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 30.03.2016, 26.04.2016

उपस्थित:

30.03.2016

1. श्री मूल चन्द, शिकायतकर्ता ।
2. श्री दीपक चौहान, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

26.04.2016

1. श्री मूल चन्द, शिकायतकर्ता ।
2. श्री अश्विनी कुमार दूबे, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 45 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनको पदोन्नति में नियमानुार आरक्षण नहीं दिए जाने एवं भेदभाव करने से संबंधित दिनांक रहित शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत की जोकि इस न्यायालय में दिनांक 15.07.2015 को प्राप्त हुई ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वे कोल इण्डिया की अनुषंगी कंपनी नार्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली के ककरी परियोजना के सी.एच.पी. में इलेक्ट्रिशियन केटगिरी–6 के पद पर कार्यरत हैं । उनकी नियुक्ति विकलांग कोटे के तहत हुई है । वे

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

दिनांक 23.12.2005 को ही सहायक फोरमैन की पात्रता पूरी कर चुके हैं लेकिन अब तक हुई पदोन्नति में उनको वंचित कर दिया गया है जबकि कंपनी के पत्र संख्या 1308 दिनांक 19/20.07.1990 में विकलांग कोटे के तहत पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है । इसके पहले भी इस नियम के तहत कई कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है तथा वे इस संबंध में कई पत्र प्रबन्धन को दे चुके है लेकिन प्रबन्धन द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 30.07.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 08.01.2016 को एक स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक एनसीएल/सिंग/वीआईपी/2015/2536 दिनांक 21/22.11.2015 द्वारा सूचित किया कि प्रकरण की संबंधित विभाग से जांच करवाई गई थी और यह पाया गया कि पदोन्नति हेतु काडर स्कीम एवं दिशा–निर्देश कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका पालन सब्सीडियरी कंपनी को करना होता है तथा कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा विकलांगजनों की पदोन्नति हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक सीआईएल/सी–5बी/एमपी/पीएच/एक्ट–95/680–87 दिनांक 07.04.99 में 45 प्रतिशत अस्थिबाधित कर्मचारी को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इसीलिए इसका लाभ शिकायतकर्ता को दे पाना संभव नहीं है ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 22.01.2016 में निवेदन किया है कि प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 21/22.11.2015 द्वारा सूचित किया है कि 45 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि विकलांगता की न्यूनतम सीमा 40 प्रतिशत है । प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 03.09.2015 द्वारा सी.पी.आई.ओ., एन.सी.एल. मुख्यालय, सिंगरौली को सूचित किया है कि जनवरी, 2010 से जुलाई, 2015 तक किसी भी विकलांग कर्मचारी को विकलांग कोटे के तहत असि. फोरमैन/फोरमैन में पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है ।

6. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 21/22.11.2015 और शिकायतकर्ता के रिज्वाइंडर दिनांक 22.01.2016 को मध्यनज़र रखते हुए मामले में सुनवाई दिनांक 30.03.2016 को निर्धारित की गई ।

...3/–

7. दिनांक 30.3.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि वह नार्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली के ककरी परियोजना के सी.एच.पी. में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत है । शिकायतकर्ता की नियुक्ति विकलांग कोटे के तहत हुई थी । शिकायतकर्ता दिनांक 23.12.2005 को सहायक फोरमैन के पद की प्रोन्नति के लिए पात्रता पूरी कर चुका है और कंपनी के पत्र दिनांक 19/20.07.1990 में विकलांग कोटे के तहत पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है । उसे वर्ष 2005 से 2011 तक कोई प्रोन्नति नहीं दी गई और वर्ष 2011 में हुई प्रोन्नतियों में उसके नाम पर विचार नहीं किया गया । अब तक हुई पदोन्नति में शिकायतकर्ता को वंचित रखा गया है।

8. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी से जो उत्तर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए मिला है, उसमें अंतिम पृष्ठ मिसिंग है, इसलिए वे इसको फाइल करने में असमर्थ है । उन्होंने उत्तर फाइल करने के लिए न्यायालय से एक सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की ।

9. दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा प्रतिवादी का अनुरोध स्वीकार करते हुए न्यायालय ने एक सप्ताह का समय प्रतिवादी का उत्तर फाइल करने के लिए स्वीकार किया तथा निर्देश दिए कि वे न केवल शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा इस न्यायालय के पत्र दिनांक 30.07.2015 का बिन्दुवार उत्तर दें बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विकलांगजनों के लिए आरक्षित पदों को विशेष भर्ती ड्राइव द्वारा बैकलाग सहित भरने के निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करके विभाग द्वारा लिया गया निर्णय भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें । प्रतिवादी का उत्तर एक सप्ताह में अर्थात् दिनांक 07.04.2016 तक प्राप्त हो जाना चाहिए, जिसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजी जाए । शिकायतकर्ता अपने टिप्पण, यदि कोई हों तो, इस न्यायालय में अगले एक सप्ताह में प्रस्तुत कर सकता है ।

10. मामले में अगली सुनवाई दिनांक 26.04.2016 को 4.00 बजे नियत की गई ।

11. दिनांक 26.04.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनकी नियुक्ति इलेक्टिशियन के पद पर विकलांग कोटे के तहत हुई थी और वे दिनांक 23.12.2005 को सहायक फोरमैन के पद की प्रोन्नति के लिए पात्रता पूरी कर चुके है लेकिन उन्हें वर्ष 2005 से 2011 तक कोई

....4/—

प्रोन्नति नहीं दी गई और वर्ष 2011 में केटेगिरी–VI से असिस्टेंट फोरमैन (ई.एण्ड एम.) एवं वर्ष 2015 में असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल (ई.एण्ड एम.) से फोरमैन इलेक्ट्रकल में हुई पदोन्नति में उनके नाम पर विचार नहीं किया गया । वे पिछले 13 वर्षों से समूह घ के पद पर कार्यरत है । अतः उन्हें पदोन्नति दिलाने की कृपा करें जिससे विकलांग व्यक्ति को उसका हक मिल सके ।

12. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले श्री अश्विनी दुबे, अधिवक्ता ने प्रतिवादी के लिखित कथनों दिनांक 22.03.2016 को दोहराते हुए निवेदन किया कि शिकायतकर्ता सहायक फोरमैन (ई.एण्ड एम.) के पद पर प्रोन्नति के लिए हकदार नहीं है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक CIL/C-5B/MP/PH/Act-95@10130/PT दिनांक 20.05.1999 में सहायक फोरमैन (ई.एण्ड एम.) ग्रेड सी का पद, जिस पर शिकायतकर्ता पदोन्नति चाहता है, को निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों की सूची में शामिल नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता ने जिन तीन कर्मचारियों अर्थात् (1) श्री ए. के. राय, (2) श्री एम.एच. हासमी और (3) श्री राम प्रताप सिंह के नामों का प्रोन्नति दिए जाने के बारे उल्लेख किया है, इस संबंध में निवेदन है कि उनके पद विकलांगता कोटे के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित पद अर्थात वैल्डर और स्टोर कीपर, उन पदों से भिन्न पद हैं, जिन पर शिकायतकर्ता प्रोन्नति चाहता है ।

13. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/1/89–स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 20.11.1989 के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए वर्ग 'ग' एवं 'घ' पदों में पदोन्नति में आरक्षण शुरू किया गया है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्था.(आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के अनुच्छेद 2(ii) के अनुसार समूह 'घ' और 'ग' पदों में, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियाँ, निःशक्तता से ग्रसत व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएँगी जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियाँ (i) दृष्टिविहीनता अथवा कम दृष्टि (ii) बधिरता और (iii) चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने

...5/–

गए पदों में आरक्षित होंगी । आगे, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47(2) यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर प्रोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता ।

14. न्यायालय के दृष्टिकोण में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता द्वारा धारित इलेक्ट्रिशियन केटेगरी–6 का पद सहायक फोरमैन (ई.एण्ड एम.) के पद पर प्रोन्नति के लिए एक फीडर पद है । प्रतिवादी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.05.1999 का अवलंब ले रहे हैं, जिसमें इस पद को निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन और अधिसूचनाएं इसके बाद जारी की जा चुकी हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या में पद विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिसूचित किए गए हैं । यह न्यायालय यह मानता है कि यदि एक विकलांग व्यक्ति फीडर काडर में सफलतापूर्वक निरन्तर 12 वर्ष तक कार्य कर सकता है तो वह उससे उच्चतर पद पर भी सफलतापूर्वक और क्षमतापूर्वक कार्य कर सकेगा । यदि सहायक फोरमैन (ई.एण्ड एम.) का पद अधिसूचना में दर्शित नहीं भी किया गया है तो कोल इंडिया लिमिटेड को इस पद को विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देने हेतु चिन्हित सूची में सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि मंत्रालय की अधिसूचना में यह वर्णित है कि यह सूची सर्वांगीण नहीं है । मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय इत्यादि इस सूची में और पद जोड़ सकते हैं । तदनुसार, यह न्यायालय प्रतिवादी को आदेश देता है कि वह सहायक फोरमैन (ई.एण्ड एम.) के पद पर प्रोन्नति के लिए शिकायतकर्ता के मामले पर विचार करे और अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय को दो महीने के अन्दर प्रस्तुत करे । इस आदेश की एक प्रति कोल इंडिया लिमिटेड को शीघ्र कार्रवाई हेतु पृष्ठांकित की जाए, जोकि एक उच्चतर संस्था है और नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड उसकी समनुषंगी (सहायक) कंपनी है ।

15. मामले का निपटारा तदनुसार किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन

प्रतिलिपि:–

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, कोल इण्डिया लिमिटेड, 10, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता–700001 -- आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in